



2026:AHC: 51638

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - ए संख्या - 3454/2026**

डॉ. कुसुमलता सागर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आदित्य शुक्ला, आशुतोष शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष शुक्ला की ओर से उपस्थित श्री आर.के. शुक्ला (ए.ओ.आर. संख्या A/R 0645/2012), राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव और आयोग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. सिंह रघुवंशी को सुना गया।
2. यद्यपि वर्तमान रिट याचिका राज्य द्वारा आयोग को संबोधित दिनांक 02.12.2025 के उस पत्राचार को चुनौती देते हुए प्राथमिकता के आधार पर दायर की गई है, जिसमें दंड अधिरोपित करने के संबंध में आयोग की सहमति मांगी गई थी, परंतु श्री रघुवंशी ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा पहले ही सहमति प्रदान कर दी गई है।
3. चूंकि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि द्वितीय प्रतिवादी, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. लखनऊ, अंतिम निर्णय लें और छह सप्ताह की अवधि के भीतर कार्यवाही संपन्न करें। आदेश पारित होने के पश्चात, रिट याचिकाकर्ता के लिए उसे चुनौती देने का विकल्प खुला रहेगा।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



4. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और 'परिशिष्ट ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

दिनांक: 13 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।